

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 512/2022

वाद पत्र अं० धारा 53 आर.टी.ए.



1. हिसारिया आर्ट पैलैस प्राईवेट लिमिटेड हनुमानगढ जरिए डायरेक्टर आदित्य हिसारिया पुत्र राजकुमार हिसारिया जाति अग्रवाल निवासी नई धान मण्डी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ राज
2. राजकुमार पुत्र बनवारी लाल जाति अग्रवाल निवासी नई धान मण्डी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ
3. सुनील कुमार हिसारिया पुत्र नौरगराम जाति अग्रवाल निवासी शनिदेव गली हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार मदान पुत्र गणपतराम मदान जाति अरोड़ा निवासी रावतसर रोड हनुमानगढ टाउन तह व जिला हनुमानगढ राज
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह० संगरिया जिला हनुमानगढ राज

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-1. श्री कैलाश सिंवल –वकील वादीगण

2. श्री नरेश मण्डा –वकील प्रति 1

निर्णय

दिनांक

:-

वादीगण हिसारिया आर्ट वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता विभाजन के तहत दिनांक 29-09-2022 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का के पत्र व्यवहार का पंजीकृत पता व्यवहार प्रकिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो कि वाद पत्र के शीर्षक मे अकित है कि वादी स 1 के नाम से चक 16एम.के.एस के खाता स 329/118 खाता राजकुमार हिसारिया वगैरा ज.स 2070-2073 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी मे 1.486 है व इसी खाता मे वादी स 2 के नाम से 0.119 है तथा इसी खाता मे वादी सख्या 3 के नाम से 0.040 है कृष भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ने वाद पत्र कि चरण स 2 मे वर्णित भूमि का आपस मे सहमति

से व अच्छी मंदी अनुसार व खाला रास्ता सुविधा अनुसार घरा घरू बंटवारा कर रखा है घरा घरू बटवारा अनुसार वादी ने निम्न प्रकार से विभाजन मे कृश भूमि प्राप्त हुई है।

(क) वादी स 1 हिसारिया आर्ट प्राईवेट लिमिटेड हनुमानगढ 1.486है के हक व हिस्सा व कब्जा की भूमि

चक न 16 एमकेएस खाता स 329/118 खाता राजकुमार हिसारिया वगैरा ज.स 2070-2073

| प.न | मु.न | कि.न |
|---------|------|--|
| 165/226 | 32 | 23/2/0.076है0 |
| 165/227 | 47 | 3/4/0.076है (कि.न 4 से चिपता हुआ) |
| | | 8/2/0.234है,9/0.107है(कि.न 8 से चिपता) |
| | | 12/0.107है (कि.न 13 से चिपता हुआ) |
| | | 13/2/0.247है,17/1/0.012है,18/0.253है |
| | | 19/0.108है (कि.न 18 से चिपता) |
| | | 23/0.253है,24/1/0.013है |

कुल-1.486है नहरी कृश भूमि

(ख) वादी स 2 राजकुमार हिसारिया 0.119हे तथा वादी स 3 सुनील कुमार हिसारिया 0.040है के कब्जा काशत व हक व हिस्सा कि भूमि

चक न 16 एमकेएस खाता स 329/118 खाता राजकुमार हिसारिया वगैरा ज.स 2070-2073


| प.न | मु.न | कि.न |
|---------|------|-----------------------------|
| 165/227 | 47 | 2/2/0.052है कि.न 3 से चिपता |
| | | 3/4/0.107है कि.न 2 से चिपता |

कुल - 0.159है नहरी कृश भूमि

(ग) प्रतिवादी स 1 राजेन्द्र कुमार मदान 1.182है के कब्जा काशत व हक हिस्सा की कृष भूमि चक 16एमकेएस के खाता सख्या 329/118 खाता राजकुमार हिसारिया वगैरा ज.स 2070-2073 जमाबन्दी 2078 वर्ष 2022 से स्थायी

| प.न | मु.न | कि.न |
|---------|------|---|
| 165/227 | 47 | 2/2/0.062है मुख्य सडक तथा कि.न9के साथ चिपता |

चिपता



9/0.146 है कि.न 10 कि.न 2 व मुख्य सडक के

10/2/0.177,11/0.253 है

12/0.146 है कि.न 11 से चिपता

19/0.145 है कि.न 20 से चिपता

20/0.253 है

कि वादी वाद पत्र की चरण स 2 में वर्णित कृष भूमि पर वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार काबिज होकर काशत करते चले आ रहे हैं कब्जा काशत बाबत कोई विवाद नहीं है किन्तु वादी का खाता साझा खाता में दर्ज होने के कारण सदैव सिव बंट व रकम राज को लेकर आपस में विवाद होने का भय है इसलिए वादी अपना खाता साझा खाता नहीं रखना चाहता है इसलिए वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार के खाता अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने पिछले सप्ताह से अलग निवेदन किया कि वादपत्र कि चरण स 3 में वर्णित भूमि के वादी को वाद पत्र की चरण स 3 के अनुसार वादी का खाता अलग से कायम करवा देवे तो प्रतिवादी के इस न्यायचित निवेदन से स्पष्ट दंकार है गये बस यही वाद कारण है कि प्रतिवादी स 1 सहखातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी स 2 को भू धारक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी स2 के विरुध कोई प्रत्यक्ष अनुतोष नहीं चहा गया है। कि वाद वादी उचित न्यायशुलक पर प्रस्तुत है जो माननीय न्यायलय के श्रेत्राधिकार व श्रवणधिकार में है अत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरुध निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि घोषित किया जावे कि वादीगण का चक न 16 एमकेएस के खाता स चक न 16 एमकेएस खाता स 329/118 खाता राजकुमार हिसारिया वगैरा ज.स 2070-2073 जमाबन्दी 2078 से स्थायी का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 2 का जबाव दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने क कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। वादी स 1 ने साक्ष्य में शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्शाया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में

प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग कायम कर रकम राज अलग कायम की जावे प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस में वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण वकील कथन का विरोध नहीं किया। प्रतिवादी सं. 1 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। इसलिए वादीगण व प्रतिवादी स 1 का वादपत्र स्वीकार किय जाने योग्य है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता है कि वादीगण का चक न 16 एमकेएस खाता स 329/118 खाता राजकुमार हिसारिया वगैरा ज.स 2070-2073 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022 से स्थायी) का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग कायम की जातो है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना-अपना अलग वहन करेगे।

नोट:- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 512/2022
वाद पत्र अंधारा :- 53 आरटीए



1. हिसारिया आर्ट पैलैस प्राईवेट लिमिटेड हनुमानगढ जरिए डायरेक्टर आदित्य हिसारिया पुत्र राजकुमार हिसारिया जाति अग्रवाल निवासी नई धान मण्डी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ राज
2. राजकुमार पुत्र बनवारी लाल जाति अग्रवाल निवासी नई धान मण्डी हनुमानगढ जक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ
3. सुनील कुमार हिसारिया पुत्र नौरगराम जाति अग्रवाल निवासी शनिदेव गली हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र कुमार मदान पुत्र गणपतराम मदान जाति अरोड़ा निवासी रावतसर रोड हनुमानगढ टाउन तह व जिला हनुमानगढ राज
2. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया तह0 संगरिया जिला हनुमानगढ राज

—प्रतिवादीगण

दिनांक :-

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कत्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिंवल वकील वादीगण व श्री नरेश मण्डा वकील प्रतिवादी सं. 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि वादीगण का चक न 16 एम.के.एस के खाता स 329/118 खाता राजकुमार हिसारिया वगैरा ज.स 2070-2073 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2022 से स्थायी) का खाता वाद पत्र की चरण सख्या 3 के अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज अलग कायम की जातो है। वाद पत्र की चरण सख्या 3 निम्न प्रकार है।

(क) वादी स 1 हिसारिया आर्ट प्राईवेट लिमिटेड हनुमानगढ 1.486 है के हक व हिस्सा व कब्जा की भूमि

चक न 16 एमकेएस खाता स 329/118

प.न मु.न कि.न

| | | |
|-----------|----|---|
| 165 / 226 | 32 | 23 / 2 / 0.076 है 0 |
| 165 / 227 | 47 | 3 / 4 / 0.076 है (कि.न 4 से चिपता हुआ) |
| | | 8 / 2 / 0.234 है 0, 9 / 0.107 है (कि.न 8 से चिपता) |
| | | 12 / 0.107 है (कि.न 13 से चिपता हुआ) |
| | | 13 / 2 / 0.247 है, 17 / 1 / 0.012 है, 18 / 0.253 है |
| | | 19 / 0.108 है (कि.न 18 से चिपता) |
| | | 23 / 0.253 है, 24 / 1 / 0.013 है |

कुल—1.486 है नहरी कृषि भूमि

(ख) वादी स 2 राजकुमार हिसारिया 0.119 है तथा वादी स 3 सुनील कुमार हिसारिया 0.040 है के कब्जा काश्त व हक व हिस्सा कि भूमि

चक न 16 एमकेएस खाता स 329 / 118

| प.न | मु.न | कि.न |
|-----------|------|----------------------------------|
| 165 / 227 | 47 | 2 / 2 / 0.052 है कि.न 3 से चिपता |
| | | 3 / 4 / 0.107 है कि.न 2 से चिपता |

कुल - 0.159 है नहरी कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी स 1 राजेन्द्र कुमार मदान 1.182 है के कब्जा काश्त व हक हिस्सा की कृषि भूमि

चक 16 एमकेएस के खाता सख्या 329 / 118

| प.न | मु.न | कि.न |
|-----------|------|--|
| 165 / 227 | 47 | 2 / 2 / 0.062 है मुख्य सडक तथा कि.न 9 के साथ चिपता |

9 / 0.146 है कि.न 10 कि.न 2 व मुख्य सडक के चिपता

10 / 2 / 0.177, 11 / 0.253 है

12 / 0.146 है कि.न 11 से चिपता

19 / 0.145 है कि.न 20 से चिपता

20 / 0.253 है

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे

नोट:— यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रिट दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल..... खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 22/03/2023 जारी
किया गया।

(रमेश देव)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

